संख्या-4/2015/6-ई.एम./2000-का-4-2015

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 15 मई, 2015

विषयः- राजकीय वाहन चालक महासंघ, उत्तर प्रदेश के अधिवेशन दिनांक 29.5.2015 एवं दिनांक 30.5.2015 को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

राजकीय वाहन चालक महासंघ, उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया है कि राजकीय वाहन चालक महासंघ, उत्तर प्रदेश का 02 दिवसीय अधिवेशन दिनांक 29.5.2015 एवं दिनांक 30.5.2015 को सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित है। महासंघ के अनुरोध पर राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिवेशन में प्रतिभाग करने वाले प्रतिनिधियों को 02 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उपर्युक्त के संबंध में, आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि राजकीय वाहन चालक महासंघ, उत्तर प्रदेश के प्रश्नगत अधिवेशन में प्रतिभाग करने वाले प्रतिनिधियों को दिनांक 29.5.2015 एवं दिनांक 30.5.2015 का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या-6-ई.एम./2000(1)-का-4-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

रघुनाथ सिंह परिहार
संयुक्त सचिव

http://Shasanadesh.up.nic.in